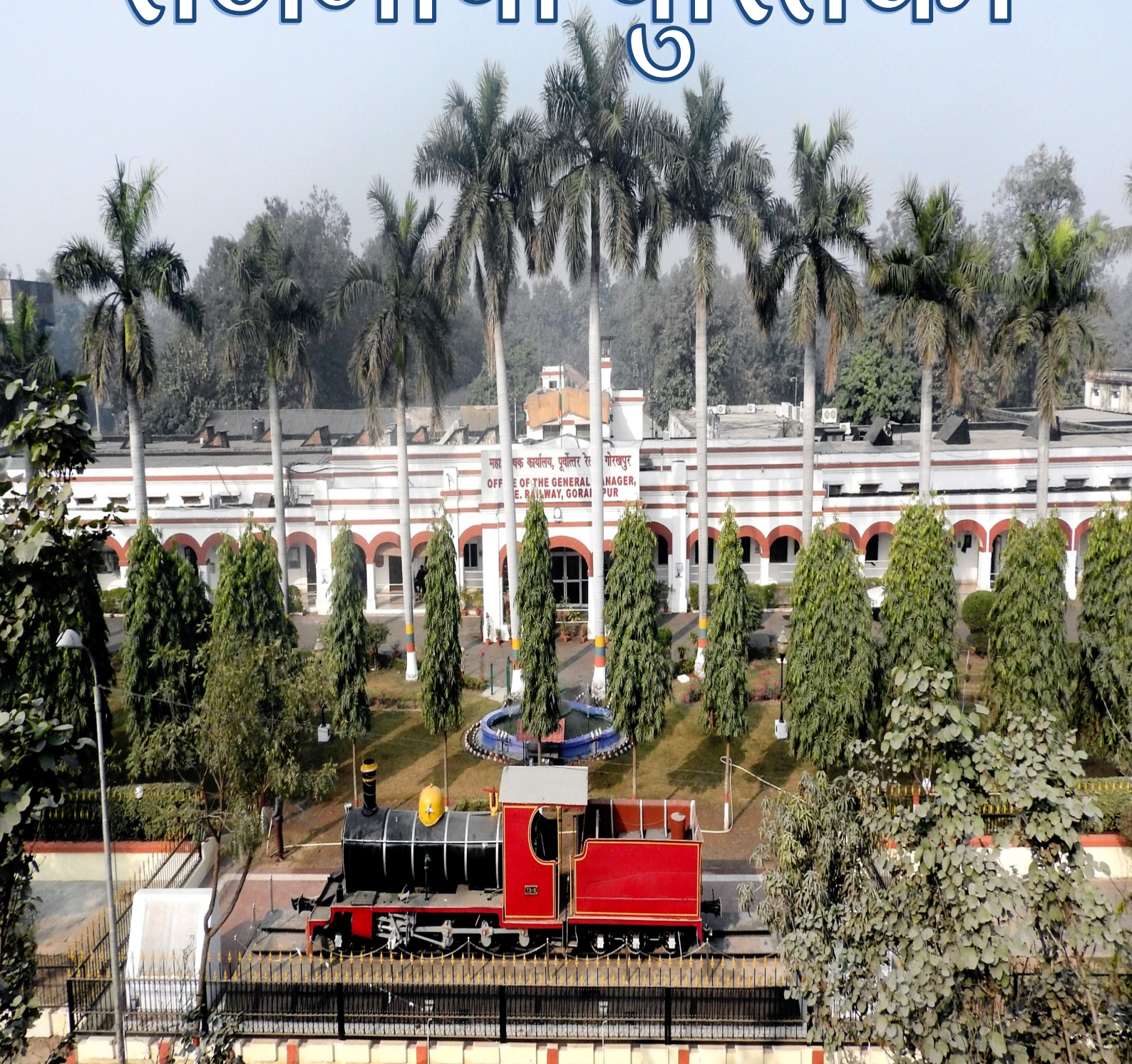




राजभाषा पुस्तिका





संदेश

मुझे यह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि पूर्वोत्तर रेलवे राजभाषा विभाग, मुख्यालय द्वारा राजभाषा संबंधी सांविधानिक उपबंधों, अधिनियमों, नियमों सहित विभागीय परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाने वाले राजभाषा विषयक प्रश्नोत्तर की एक पुस्तिका का वेब संस्करण जारी किया जा रहा है। यह पुस्तिका रेलवे के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए अवश्य लाभप्रद होगी।

मैं इस राजभाषा पुस्तिका के सफल प्रकाशन के लिए संपादक मंडल को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं।

(राजीव अग्रवाल)

महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे एवं
अध्यक्ष, नराकास, गोरखपुर



संदेश

पूर्वोत्तर रेलवे के राजभाषा विभाग, मुख्यालय द्वारा राजभाषा पुस्तिका के प्रकाशन पर मुझे हर्ष की अनुभूति हो रही है। इस पुस्तिका के माध्यम से जहां राजभाषा के सांविधानिक उपबंधों, नियमों, अधिनियमों की अद्यतन जानकारी दी गई है, वहीं कंप्यूटर को हिंदी यूनिकोड में काम करने योग्य बनाने की भी सरलतम जानकारी से पाठकों को अवगत कराया गया है।

आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि यह राजभाषा पुस्तिका पूर्वोत्तर रेलवे एवं नराकास, गोरखपुर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजभाषा नियमों की अद्यतन जानकारी प्रदान करने में सक्षम होगी। साथ ही, पूर्वोत्तर रेलवे एवं नराकास, गोरखपुर के सदस्य कार्यालयों में राजभाषा के प्रचार-प्रसार एवं प्रयोग को बढ़ाने में सहायक होगी।

राजभाषा पुस्तिका के सफल प्रकाशन के लिए पूर्वोत्तर रेलवे राजभाषा विभाग को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

(रवि वल्लूरी)

मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं
प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक



संदेश

मुझे यह जानकर अत्यंत खुशी हो रही है कि पूर्वोत्तर रेलवे के राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नियमों/अधिनियमों और संघ सरकार की राजभाषा नीति की अद्यतन जानकारी देने तथा हिंदी में काम करने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राजभाषा पुस्तिका का वेब संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है. मैं पूर्वोत्तर रेलवे के इस प्रयास की सराहना करता हूँ.

आशा है कि आपकी यह वेब पुस्तिका राजभाषा संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने की दिशा में प्रकाश-पुंज साबित होगी.

राजभाषा वेब पुस्तिका के सफल प्रकाशन एवं इसके प्रकाशन से जुड़े सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ.

11/11/20

(के. पी. सत्यानंदन)
निदेशक, राजभाषा



संदेश

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि पूर्वोत्तर रेलवे राजभाषा विभाग एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, गोरखपुर द्वारा राजभाषा पुस्तिका का वेब संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। इस पुस्तिका में राजभाषा संबंधी अद्यतन जानकारी का समावेश किया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे हमेशा से ही राजभाषा के प्रयोग में अग्रणी भूमिका का निर्वाह करता रहा है। इसी क्रम में अद्यतन तकनीक के माध्यम से राजभाषा के प्रयोग-प्रसार का यह अभिनव प्रयास है।

इस सफल प्रयास के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a final vertical stroke.

(अजय मलिक)

उप निदेशक/कार्यान्वयन (उत्तरी)
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय
गाजियाबाद

राजभाषा का सामान्य अर्थ होता है, राजकाज की भाषा अर्थात् वह भाषा जिसमें शासन का संचालन किया जाता है। भारत की केंद्रीय भाषा के संदर्भ में विचार करें तो हम देखते हैं कि प्राचीन काल में यहां की राजभाषा संस्कृत (ईसा पूर्व 500 ई.) थी, तदंतर राजकाज में पाली (500 ई. पूर्व से 1 ई.) एवं प्राकृत (1 ई. पूर्व से 500 ई.) का भी प्रयोग हुआ। इसके पश्चात अपभ्रंश का विकास हुआ और 1000 ई. तक आते-आते हिंदी एवं अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं के अंकुर दिखाई पड़ने लगे। जनभाषा होने के कारण राजकाज एवं साहित्य में इनके प्रयोग भी दिखाई पड़ने लगते हैं। 12वीं शताब्दी में तुर्कों एवं अफगानों के आगमन से मध्य देश की राजभाषा फारसी बन गई, लेकिन कोई भी शासन बिना जनता की जुबान को अपनाए नहीं चल सकता, इसलिए आवश्यकतावश स्वभावतः ही हिंदी सह राजभाषा के रूप में व्यवहृत होने लगी। पुरानी हिंदी के रूप में रेखांकित की गई यही हिंदी मुगल शासन में सह राजभाषा का कार्य करने के साथ-साथ राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात में राजकाज का माध्यम बनी और दक्षिण में जाकर दक्खिनी हिंदी के रूप में पहचानी गई। इसी हिंदी को अमीर खुसरो ने 'हिंदवी' के रूप में पहचान दी और यही हिंदी सिद्धों, नाथों, संतों, कवियों, मनीषियों की वाणी के साथ विभिन्न बोलियों-बानियों में ढलकर संपूर्ण भारत के संवाद सूत्र के रूप में विकसित हुई।

अंग्रेजों द्वारा हिंदुस्तान का शासन सूत्र संभाल लिए जाने के बाद फारसी राजभाषा के मुख्य पद से हटी एवं उसका स्थान 1935 में अंग्रेजी ने ग्रहण किया, लेकिन जन भाषा हिंदी को अस्वीकार कर शासन संचालन संभव नहीं था, इसलिए अधिकांश क्षेत्रों में संपर्क भाषा के रूप में कायम हिंदी की ओर ध्यान दिया गया। फ्रेडरिक पिन्काट (1878) जैसे व्यक्ति ने इसके महत्व को समझते हुए भारत आने वाले सभी अंग्रेजों को हिंदी की परीक्षा पास करने का प्रस्ताव पास कराया। सिविल सेवा में आने वालों को हिंदी पढ़नी पड़ती थी। इसके पूर्व थामसन ने अपनी रिपोर्ट (1843-44) में यह लिखा था कि 'इंग्लिश अफसरों के सिवाय जनता के साथ सभी कामकाज वर्नाक्यूलर भाषा में किया जाए।' इसके साथ ही अंग्रेजों ने हिंदी भाषा, व्याकरण एवं साहित्य पर भी महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य किए।

स्वतंत्रता की पहली लड़ाई अर्थात् 1857 के साथ-साथ ही सुधार आंदोलनों का दौर प्रारंभ हुआ। आर्य समाज, ब्रह्म समाज जैसे अनेक संगठनों ने सुधार कार्यक्रम चलाए। एक क्षेत्र के मनीषियों का दूसरे क्षेत्र में आना-जाना हुआ। आचार्य दयानंद सरस्वती कोलकाता गए। वह संस्कृत में व्याख्यान देते थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक आचार्य केशवचंद्र सेन ने उन्हें सुझाव दिया कि हिंदी में बोले ताकि सामान्य लोग समझ सकें। केशवचंद्र सेन ने अपने पत्र 'सुलभ-समाचार' में 1875 में स्पष्ट शब्दों में भारत की एकता के लिए एक भाषा पर बल दिया और इसके लिए हिंदी को अपनाने को कहा। इस तरह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदी वैचारिक आंदोलनों को जनसामान्य तक पहुंचाने का माध्यम बनी।

स्वतंत्रता आंदोलन की गति तेज होने के साथ ही जन आंदोलनों, जनसभाओं, पत्र-पत्रिकाओं एवं जन साहित्य का अविरल प्रवाह होने लगा। इस प्रवाह की भाषा बनी हिंदी। उत्तर से दक्षिण तक एवं पूर्व से पश्चिम तक संपर्क का माध्यम हिंदी हो गई। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के आंदोलन के दौरान ही भाषा के महत्व को रेखांकित किया था और 'हिंद स्वराज' में उन्होंने स्पष्ट भाषा नीति घोषित की एवं हिंदुस्तानी को अपनाने का आग्रह किया। अंततः कांग्रेस ने भी 1925 में कानपुर में आयोजित अधिवेशन में महासमिति और कार्यकारिणी का कार्य हिंदी में करने का प्रस्ताव पारित किया। स्वतंत्रता संघर्ष की यात्रा के साथ-साथ चहुमुखी लोकप्रियता एवं प्रयोगाधिक्य के चलते हिंदी ने जनमत में 'राष्ट्रभाषा' का दर्जा हासिल कर लिया, जो आज भी इस के साथ लगा हुआ है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान सभा में भाषा के संबंध में 12, 13 एवं 14 सितंबर, 1949 को चर्चा हुई, जिसमें देश के स्वनाम धन्य विद्वान एवं अनेक भाषाओं से जुड़े लोग शामिल हुए। इसी चर्चा के पश्चात हिंदी को 14 सितंबर, 1949 को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया एवं अन्य भारतीय भाषाओं के साथ संविधान की अष्टम अनुसूची में स्थान दिया गया। ज्ञातव्य हो कि इस अनुसूची में उस समय 14 भाषाओं को अधिसूचित किया गया था, आज इनकी संख्या बढ़कर बाइस हो गई है।

संविधान लागू होने के साथ ही भाषा संबंधी प्रावधान भी लागू हो गए। इन्हीं प्रावधानों के अनुसार आज हिंदी संसद, अनेक विधानसभाओं एवं संघ की राजभाषा के रूप में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, बैंकों, निगमों, निकायों की भाषा के रूप में निरंतर प्रगति कर रही है।

डॉ. संजय कुमार सिंह

संरक्षक

राजीव अग्रवाल
महाप्रबंधक

एस. एल. वर्मा
अपर महाप्रबंधक

परामर्शदाता

रवि वल्लूरी
मुख्य राजभाषा अधिकारी

जे. पी. सिंह
उप मुख्य राजभाषा अधिकारी

संपादक

डॉ. संजय कुमार सिंह
वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी

उप संपादक

ध्रुव कुमार श्रीवास्तव
राजभाषा अधिकारी

सह संपादक

श्याम बाबू शर्मा
वरिष्ठ अनुवादक

संपादन सहयोग

राजभाषा विभाग के समस्त कार्मिक

कार्यालय

राजभाषा विभाग (मुख्यालय)
मुकाधि कार्यालय परिसर
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर-273012
ईमेल- seniorol9@gmail.com
Tolic.gkp@gmail.com
मो.नं.- 9794840614
9794840674



राजभाषा विभाग
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर



नगर राजभाषा कार्यान्वयन
समिति, गोरखपुर

विषय सूची

महाप्रबंधक का संदेश	-	2
मुख्य राजभाषा अधिकारी का संदेश	-	3
निदेशक/राजभाषा, रेलवे बोर्ड का संदेश	-	4
उप निदेशक/राजभाषा, गृह मंत्रालय का संदेश	-	5
संपादक की कलम से	-	6
राजभाषा संबंधी सांविधानिक उपबंध	-	8
अष्टम अनुसूची	-	12
राजभाषा आयोग, 1955	-	12
संसदीय राजभाषा समिति	-	13
राजभाषा अधिनियम, 1963	-	15
राजभाषा संकल्प, 1968	-	18
राजभाषा नियम, 1976	-	19
हिंदी प्रोत्साहन एवं पुरस्कार योजनाएं	-	24
क्षेत्रीय रेलवे अधिकारियों के अद्यतन पदनाम	-	27
हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2017-18 का वार्षिक कार्यक्रम	-	29
राजभाषा कार्यान्वयन समिति	-	31
कंप्यूटर में हिंदी यूनिकोड सक्रिय करना	-	33
राजभाषा प्रश्नोत्तरी	-	34

(वापस इस पेज पर आने के लिए कृपया प्रत्येक पेज पर नीचे बायीं ओर दिए लिंक 'राजभाषा पुस्तिका' पर क्लिक करें।)

राजभाषा संबंधी सांविधानिक उपबंध

संघ की राजभाषा नीति

भारत का संविधान—भाग-5 (120), भाग-6 (210) और भाग 17 (343 से 351)

भाग-5

अनुच्छेद 120: संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा

1) भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा;

परंतु, यथास्थिति, राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृ-भाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

2) जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो “या अंग्रेजी में” शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो।

भाग-6

अनुच्छेद 210: विधान-मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा

1) भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान-मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा।

परंतु, यथास्थिति, विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। (यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होगा)।

2) जब तक राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के

प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो “या अंग्रेजी में” शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो:

परंतु हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के विधान-मंडलों के संबंध में, यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले “पंद्रह वर्ष” शब्दों के स्थान पर “पच्चीस वर्ष” शब्द रख दिए गए हों:

परंतु यह और कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम राज्यों के विधान-मंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले “पंद्रह वर्ष” शब्दों के स्थान पर “चालीस वर्ष” शब्द रख दिए गए हों।

भाग-17

अनुच्छेद 343: संघ की राजभाषा

1) संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।

संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

2) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था:

परन्तु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद उक्त पन्द्रह वर्ष की अवधि के पश्चात, विधि द्वारा

क) अंग्रेजी भाषा का, या
 ख) अंकों के देवनागरी रूप का,
 ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

अनुच्छेद 344: राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति

1) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात् ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा, एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी।

2) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को -

- क) संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग,
- ख) संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधनों,
- ग) अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा,
- घ) संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप,
- ङ) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय, के बारे में सिफारिश करे।

3) खंड (2) के अधीन अपनी सिफारिशें करने में, आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा।

4) एक समिति गठित की जाएगी जो तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से बीस लोक

सभा के सदस्य होंगे और दस राज्य सभा के सदस्य होंगे जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों और राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

5) समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे।

6) अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति खंड (5) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश दे सकेगा।

अनुच्छेद 345: राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं
 अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा:

परंतु जब तक राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

अनुच्छेद 346: एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा

संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी:

परंतु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा।

अनुच्छेद 347: किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध

यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए, जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए।

अनुच्छेद 348: उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा

1) इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक--

क) उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी,

ख)(i) संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के,

(ii) संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के, और

(iii) इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के, प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे।

2) खंड(1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में

है, हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा:

परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होगी।

3) खंड (1) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी राज्य के विधान-मंडल ने, उस विधान-मंडल में पुरःस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा (iii) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

अनुच्छेद 349: भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया

इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि के दौरान, अनुच्छेद 348 के खंड (1) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुरःस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुरःस्थापित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर और उस अनुच्छेद के खंड (4) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् ही देगा, अन्यथा नहीं।

अनुच्छेद 350: व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा

प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा।

अनुच्छेद 350 क: प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं

प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।

अनुच्छेद 350 ख: भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए विशेष अधिकारी

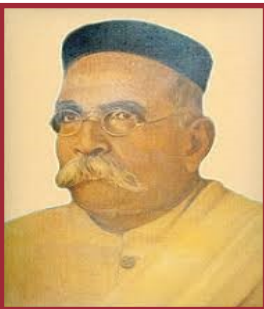
भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।

विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे

अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा।

अनुच्छेद 351: हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश

संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्थानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।



महावीर प्रसाद द्विवेदी

जन्म- 15 मई, 1864

जन्मस्थान- दौलतपुर, रायबरेली

मृत्यु- 21 दिसम्बर, 1938, मृत्युस्थान- रायबरेली

अभिभावक- रामसहाय द्विवेदी

कर्मक्षेत्र-हिन्दी गद्य साहित्य के महान साहित्यकार एवं युगविधायक

रामचन्द्र शुक्ल

जन्म 4 अक्टूबर, 1884

जन्मस्थान- अगोना, बस्ती, उत्तर प्रदेश

मृत्यु 2 फरवरी, 1941

अभिभावक- पं. चंद्रबली शुक्ल

कर्म भूमि वाराणसी

कर्म-क्षेत्र साहित्यकार, लेखक, निबंधकार

मुख्य रचनाएँ हिन्दी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, हिन्दी शब्द सागर, नागरी प्रचारिणी पत्रिका

हरिवंश राय बच्चन

जन्म 27 नवंबर, 1907

जन्मस्थान- इलाहाबाद

मृत्यु 18 जनवरी, 2003

मृत्यु स्थान- मुंबई

अभिभावक प्रताप नारायण श्रीवास्तव, सरस्वती देवी

कर्म भूमि इलाहाबाद

कर्म-क्षेत्र अध्यापक, लेखक, कवि

मुख्य रचनाएँ मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, तेरा हार, निशा निमंत्रण,

अष्टम अनुसूची
(अनुच्छेद 344(1) और 351)
भाषाएं

- | | | |
|------------|-------------|------------|
| 1. असमिया | 2. बंगाली | 3. गुजराती |
| 4. हिंदी | 5. कन्नड | 6. कश्मीरी |
| 7. मलयालम | 8. मराठी | 9. उडिया |
| 10. पंजाबी | 11. संस्कृत | 12. तमिल |
| 13. तेलुगु | 14. उर्दू | 15. सिंधी |
| 16. कोंकणी | 17. मणिपुरी | 18. नेपाली |
| 19. बोडो | 20. डोगरी | 21. मैथिली |
| 22. संथाली | | |

- * 10 अप्रैल, 1967 को संविधान में 21वां संशोधन करके 'सिंधी' भाषा को जोड़ा गया।
- * 31 अगस्त, 1992 को संविधान में 71वां संशोधन करके 'कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली' भाषा को जोड़ा गया।
- * 07 जनवरी, 2004 को संविधान में 92वां संशोधन करके 'बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली' भाषा को जोड़ा गया।

उल्लेखनीय है कि संशोधन के उपरान्त शामिल की गई भाषाओं को अंग्रेजी वर्णानुसार पुनर्संख्यांकित निम्नप्रकार से किया गया है।

- | | | |
|------------|-------------|-------------|
| 1. असमिया | 2. बंगाली | 3. बोडो |
| 4. डोगरी | 5. गुजराती | 6. हिंदी |
| 7. कन्नड | 8. कश्मीरी | 9. कोंकणी |
| 10. मैथिली | 11. मलयालम | 12. मणिपुरी |
| 13. मराठी | 14. नेपाली | 15. उडिया |
| 16. पंजाबी | 17. संस्कृत | 18. संथाली |
| 19. सिंधी | 20. तमिल | 21. तेलुगु |
| 22. उर्दू | | |

राजभाषा आयोग, 1955

संविधान में राजभाषा आयोग और उसकी सिफारिशों की जांच करने के लिए राजभाषा समिति गठित करने की व्यवस्था है। तदनुसार राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 344 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून 1955

को श्री बालासाहब गंगाधर खेर (बी.जी.खेर) की अध्यक्षता में निम्नांकित विषयों पर सिफारिशें करने के लिए राजभाषा आयोग का गठन किया:-

- (क) संघ के सरकारी कामकाज के लिए हिंदी भाषा का क्रमशः अधिक से अधिक से प्रयोग।
- (ख) संघ के सभी या कुछ सरकारी कामों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की मनाही।
- (ग) संविधान के अनुच्छेद 348 में वर्णित सभी अथवा कुछ कार्यों के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाए।
- (घ) संघ के किसी या किन्हीं खास कार्यों के लिए प्रयोग में आने वाले अंकों का रूप
- (ङ) एक समग्र अनुसूची तैयार करना जिसमें ये बताया जाए कि कब और किस प्रकार संघ की राजभाषा तथा संघ एवं राज्यों के बीच और एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच संचार की भाषा के रूप में अंग्रेजी का स्थान धीरे धीरे हिंदी ले।

अपनी सिफारिशें करते समय आयोग को इस बात का ध्यान रखना था कि उन सिफारिशों से भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचे और सरकारी नौकरियों के मामले में हिंदीतर क्षेत्रों के लोगों के उचित अधिकार और हित सुरक्षित रहे। आयोग ने अपने विचारार्थ विषय के विभिन्न पहलुओं से आधुनिक भाषा, भारतीय भाषाओं का स्वरूप, पारिभाषिक शब्दावली, संघ की भाषा और शिक्षा पद्धति, सरकारी प्रशासन में भाषा, कानून और न्यायालयों की भाषा, संघ की भाषा, लोक सेवाओं की परीक्षाएं, हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं का प्रचार और विकास, राष्ट्रीय भाषा संबंधी कार्यक्रम को कार्य रूप देने के लिए संस्थाओं आदि की व्यवस्था आदि के बारे में विस्तार से विवेचन तथा विचार विमर्श करने के पश्चात 31 जुलाई 1956 को अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया।

संसदीय राजभाषा समिति

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा-4 के उपबन्धों के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। इस समिति में 20 लोक सभा के और 10 राज्य सभा के सदस्य होते हैं। केन्द्र सरकार के कार्यालयों, बैंको तथा निगमों आदि में हिंदी को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु संसदीय राजभाषा समिति अब तक महामहिम राष्ट्रपति जी को 9 प्रतिवेदन (रिपोर्ट) प्रस्तुत कर चुकी है और राष्ट्रपति जी द्वारा आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। समिति संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करती है और उस पर सिफारिश करते हुए राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(4) के अनुसार समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके निदेश जारी किया जाता है। 04 मार्च 1976 की अपनी बैठक में समिति ने मंत्रालयों, विभागों और उनके कार्यालयों तथा कंपनियों आदि में हिंदी के प्रयोग के पुनरीक्षण के लिए तीन उप समितियां बनाई हैं। **संसदीय राजभाषा समिति के दिनांक 25 अप्रैल, 2017 के पत्र सं. 13011/1/2016-समिति-4 के अनुसार** समिति के अध्यक्ष माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह एवं उपाध्यक्ष डॉ. सत्यनारायण जटिया हैं। इन उप समितियों के कार्यक्षेत्र एवं सदस्यों का विवरण नीचे दिया गया है:-

पहली उप समिति

(क) कार्यक्षेत्र-

रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, योजना आयोग, सामाजिक न्याय और अधारिता मंत्रालय,

ग्रामीण विकास मंत्रालय, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पंचायतीराज मंत्रालय।

(ख) समिति सदस्य-

1. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी,	संयोजक
2. श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी,	सदस्य
3. श्री अजय मिश्रा टेनी,	सदस्य
4. श्रीमती संतोष अहलावत,	सदस्य
5. श्री तामध्वज साहू,	सदस्य
6. श्रीमती रंजीत रंजन,	सदस्य
7. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे,	सदस्य
8. श्री ए. अनवर राजा,	सदस्य
9. डॉ. सुभाष चन्द्रा,	सदस्य
10. श्री मंधराज जैन,	सदस्य

दूसरी उप समिति

(क) कार्यक्षेत्र-

रेल मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग, पर्यटन मंत्रालय

(ख) समिति सदस्य-

1. डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी,	संयोजक
2. श्री गोकाराजू गंगाराजू,	सदस्य
3. श्री लक्ष्मी नारायण यादव,	सदस्य
4. डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़,	सदस्य

5. श्री राम मोहन नायडु कींजरपू, सदस्य
6. श्री विवेक गुप्ता, सदस्य
7. श्री वशिष्ठ नारायण यादव, सदस्य
8. श्री डी. पी. त्रिपाठी, सदस्य

तीसरी उप समिति

(क) कार्यक्षेत्र-

वित्त मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, खान एवं खनिज मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

(ख) समिति सदस्य-

1. श्री हुक्म देव नारायण यादव, संयोजक
2. श्री अश्विनी कुमार, सदस्य
3. प्रो. चिंतामणी मालवीय, सदस्य
4. डॉ. ए. संपत, सदस्य
5. श्री संतोष कुमार, सदस्य
6. श्री जयप्रकाश नारायण यादव, सदस्य
7. श्री शादीलाल बत्रा, सदस्य
8. श्रीमती रजनी पाटिल, सदस्य
9. प्रो. रामगोपाल यादव, सदस्य

आलेख एवं साक्ष्य उप समिति

1. डॉ. सत्यनारायण जटिया, अध्यक्ष
2. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी, सदस्य
3. डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी, सदस्य
4. श्री हुक्म देव नारायण यादव, सदस्य
5. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, सदस्य
6. डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़, सदस्य



महादेवी वर्मा

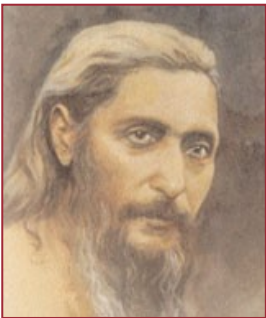
जन्म- 26 मार्च, 1907 जन्मभूमि- फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश

मृत्यु- 22 सितम्बर, 1987 मृत्युस्थान- प्रयाग

अभिभावक गोविन्द प्रसाद वर्मा, हेमरानी देवी

पति- डॉ. स्वरूप नरेन वर्मा कर्मभूमि- इलाहाबाद कर्म-क्षेत्र- अध्यापक, लेखिका

मुख्य रचनाएँ- 'मेरा परिवार', 'स्मृति की रेखाएँ', 'पथ के साथी', 'श्रृंखला की कड़ियाँ', 'अतीत के चलचित्र', नीरजा, नीहार विषय गीत, रेखाचित्र, संस्मरण



सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला

जन्म- माघ शुक्ल 11 सम्वत् 1953 (1896 ई.)

जन्मभूमि महिषादल स्टेट मेदनीपुर (बंगाल)

मृत्यु 15 अक्टूबर, 1961 मृत्यु स्थान प्रयाग,

अभिभावक पं. रामसहाय पत्नी मनोहरा देवी

कर्म-क्षेत्र कवि, लेखक विषय कविता, खंडकाव्य, निबंध, समीक्षा

राजभाषा अधिनियम, 1963
(यथासंशोधित, 1967)
(1963 का अधिनियम संख्यांक 19)

उन भाषाओं का, जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद में कार्य के संव्यवहार, केंद्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेंगी, उपबन्ध करने के लिए अधिनियम। भारत गणराज्य के चौदहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम, 1963 कहा जा सकेगा।
2. धारा 3, जनवरी, 1965 के 26 वें दिन को प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के शेष उपबन्ध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे केंद्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. परिभाषाएं

इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

- (क) 'नियत दिन' से, धारा 3 के सम्बन्ध में, जनवरी, 1965 का 26वां दिन अभिप्रेत है और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के सम्बन्ध में वह दिन अभिप्रेत है जिस दिन को वह उपबन्ध प्रवृत्त होता है;
- (ख) 'हिंदी' से वह हिंदी अभिप्रेत है जिसकी लिपि देवनागरी है।

3. संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का रहना-

- (1) संविधान के प्रारम्भ से पंद्रह वर्ष की कालावधि की समाप्ति हो जाने पर भी, हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा, नियत दिन से ही,
- (क) संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए जिनके लिए वह उस दिन से ठीक पहले प्रयोग में लाई जाती थी; तथा
- (ख) संसद में कार्य के संव्यवहार के लिए प्रयोग में लाई जाती रह सकेगी:

परन्तु संघ और किसी ऐसे राज्य के बीच, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग में लाई जाएगी:

परन्तु यह और कि जहां किसी ऐसे राज्य के, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है और किसी अन्य राज्य के, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, बीच पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिंदी को प्रयोग में लाया जाता है, वहां हिंदी में ऐसे पत्रादि के साथ-साथ उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भेजा जाएगा:

परन्तु यह और भी कि इस उपधारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे राज्य को, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संघ के साथ या किसी ऐसे राज्य के साथ, जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है, या किसी अन्य राज्य के साथ, उसकी सहमति से, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिंदी को प्रयोग में लाने से निवारित करती है, और ऐसे किसी मामले में उस राज्य के साथ पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बाध्यकर न होगा।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिंदी या अंग्रेजी भाषा-

- (i) केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और दूसरे मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के बीच ;
- (ii) केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी या उसके किसी कार्यालय के बीच;
- (iii) केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी या उसके किसी कार्यालय के और किसी अन्य ऐसे निगम या कम्पनी या कार्यालय के बीच;

प्रयोग में लाई जाती है वहां उस तारीख तक, जब तक पूर्वोक्त संबंधित मंत्रालय, विभाग, कार्यालय या विभाग या कम्पनी का कर्मचारीवृद्ध हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, ऐसे पत्रादि का अनुवाद, यथास्थिति, अंग्रेजी भाषा या हिंदी में भी दिया जाएगा।

(3) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों ही-

(i) संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस विज्ञप्तियों के लिए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी द्वारा या ऐसे निगम या कम्पनी के किसी कार्यालय द्वारा निकाले जाते हैं या किए जाते हैं ;

(ii) संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदनों और राजकीय कागज-पत्रों के लिए ;

(iii) केंद्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से या केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी द्वारा या ऐसे निगम या कम्पनी के किसी कार्यालय द्वारा निष्पादित संविदाओं और करारों के लिए तथा निकाली गई अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों, सूचनाओं और निविदा-प्ररूपों के लिए, प्रयोग में लाई जाएगी।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि केंद्रीय सरकार धारा 8 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उस भाषा या उन भाषाओं का उपबन्ध कर सकेगी जिसे या जिन्हें संघ के राजकीय प्रयोजन के लिए, जिसके अन्तर्गत किसी मंत्रालय, विभाग, अनुभाग या कार्यालय का कार्यकरण है, प्रयोग में लाया जाना है और ऐसे नियम बनाने में राजकीय कार्य के शीघ्रता और दक्षता के साथ निपटारे का तथा जन साधारण के हितों का सम्यक ध्यान रखा जाएगा

और इस प्रकार बनाए गए नियम विशिष्टतया यह सुनिश्चित करेंगे कि जो व्यक्ति संघ के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवा कर रहे हैं और जो या तो हिंदी में या अंग्रेजी भाषा में प्रवीण हैं वे प्रभावी रूप से अपना काम कर सकें और यह भी कि केवल इस आधार पर कि वे दोनों ही भाषाओं में प्रवीण नहीं हैं उनका कोई अहित नहीं होता है।

(5) उपधारा (1) के खंड (क) के उपबन्ध और उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4), के उपबन्ध तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक उनमें वर्णित प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त कर देने के लिए ऐसे सभी राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा, जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संकल्प पारित नहीं कर दिए जाते और जब तक पूर्वोक्त संकल्पों पर विचार कर लेने के पश्चात् ऐसी समाप्ति के लिए संसद के हर एक सदन द्वारा संकल्प पारित नहीं कर दिया जाता।

4. राजभाषा के सम्बन्ध में समिति -

(1) जिस तारीख को धारा 3 प्रवृत्त होती है उससे दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, राजभाषा के सम्बन्ध में एक समिति, इस विषय का संकल्प संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से प्रस्तावित और दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर, गठित की जाएगी।

(2) इस समिति में तीस सदस्य होंगे जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे तथा दस राज्य सभा के सदस्य होंगे, जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों तथा राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

(3) इस समिति का कर्तव्य होगा कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करें और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करें और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के हर एक सदन के समक्ष रखवाएगा और सभी राज्य सरकारों को भिजवाएगा।

(4) राष्ट्रपति उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर और उस पर राज्य सरकारों ने यदि कोई मत अभिव्यक्त किए हों तो उन पर विचार करने के पश्चात् उस समस्त प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश निकाल सकेगा:

[परन्तु इस प्रकार निकाले गए निदेश धारा 3 के उपबन्धों से असंगत नहीं होंगे।]

5. केंद्रीय अधिनियमों आदि का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद-

(1) नियत दिन को और उसके पश्चात् शासकीय राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित-

(क) किसी केंद्रीय अधिनियम का या राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश का, अथवा

(ख) संविधान के अधीन या किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन निकाले गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का हिंदी में अनुवाद उसका हिंदी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(2) नियत दिन से ही उन सब विधेयकों के, जो संसद के किसी भी सदन में पुरःस्थापित किए जाने हों और उन सब संशोधनों के, जो उनके सम्बन्ध में संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जाने हों, अंग्रेजी भाषा के प्राधिकृत पाठ के साथ-साथ उनका हिंदी में अनुवाद भी होगा जो ऐसी रीति से प्राधिकृत किया जाएगा, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए।

6. कतिपय दशाओं में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद-

जहां किसी राज्य के विधानमण्डल ने उस राज्य के विधानमण्डल द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में प्रयोग के लिए हिंदी से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां, संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) द्वारा अपेक्षित अंग्रेजी भाषा में उसके अनुवाद के अतिरिक्त, उसका हिंदी में अनुवाद उस राज्य के शासकीय राजपत्र में, उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से, नियत दिन को या उसके पश्चात् प्रकाशित किया जा सकेगा

और ऐसी दशा में ऐसे किसी अधिनियम या अध्यादेश का हिंदी में अनुवाद हिंदी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

7. उच्च न्यायालयों के निर्णयों आदि में हिंदी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग-

नियत दिन से ही या तत्पश्चात् किसी भी दिन से किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और जहां कोई निर्णय, डिक्री या आदेश (अंग्रेजी भाषा से भिन्न) ऐसी किसी भाषा में पारित किया या दिया जाता है वहां उसके साथ-साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा।

8. नियम बनाने की शक्ति -

(1) केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया हर नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के हर एक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। वह अवधि एक सत्र में, अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् यह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

9. कतिपय उपबन्धों का जम्मू-कश्मीर को लागू न होना-

धारा 6 और धारा 7 के उपबन्ध जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू न होंगे।

राजभाषा संकल्प, 1968

संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित निम्नलिखित सरकारी संकल्प आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है -

“जबकि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी और उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा का प्रसार, वृद्धि करना और उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, संघ का कर्तव्य है :

यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने के हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और किए जाने वाले उपायों एवं की जाने वाली प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखी जाएगी और सब राज्य सरकारों को भेजी जाएगी।

जबकि संविधान की आठवीं अनुसूची में हिंदी के अतिरिक्त भारत की 14 मुख्य भाषाओं का उल्लेख किया गया है, और देश की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि इन भाषाओं के पूर्ण विकास हेतु सामूहिक उपाय किए जाने चाहिए : यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के साथ-साथ इन सब भाषाओं के समन्वित विकास हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा ताकि वे शीघ्र समृद्ध हो और आधुनिक ज्ञान के संचार का प्रभावी माध्यम बनें।

जबकि एकता की भावना के संवर्धन तथा देश के विभिन्न भागों में जनता में संचार की सुविधा हेतु यह आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए गए त्रि-भाषा सूत्र को सभी राज्यों में पूर्णतः कार्यान्वित करने के

लिए प्रभावी किया जाना चाहिए : यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी भाषा क्षेत्रों में हिंदी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा के, दक्षिण भारत की भाषाओं में से किसी एक को तरजीह देते हुए, और अहिंदी भाषा क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के अध्ययन के लिए उस सूत्र के अनुसार प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

और जबकि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संघ की लोक सेवाओं के विषय में देश के विभिन्न भागों के लोगों के न्यायोचित दावों और हितों का पूर्ण परित्राण किया जाए यह सभा संकल्प करती है कि-

उन विशेष सेवाओं अथवा पदों को छोड़कर जिनके लिए ऐसी किसी सेवा अथवा पद के कर्तव्यों के संतोषजनक निष्पादन हेतु केवल अंग्रेजी अथवा केवल हिंदी अथवा दोनों जैसी कि स्थिति हो, का उच्च स्तर का ज्ञान आवश्यक समझा जाए, संघ सेवाओं अथवा पदों के लिए भर्ती करने हेतु उम्मीदवारों के चयन के समय हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक का ज्ञान अनिवार्यतः होगा; और

कि परीक्षाओं की भावी योजना, प्रक्रिया संबंधी पहलुओं एवं समय के विषय में संघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के पश्चात अखिल भारतीय एवं उच्चतर केंद्रीय सेवाओं संबंधी परीक्षाओं के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की अनुमति होगी।”

राजभाषा नियम (संघ के शासकीय प्रयोजनों के प्रयोग के लिए) 1976

(यथा संशोधित 1987, 2007 एवं 2011)

सा.का.नि.1052 राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 है।
- (2) इनका विस्तार तमिलनाडु राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर हैं।
- (3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

- (क) 'अधिनियम' से राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) अभिप्रेत है।
- (ख) 'केंद्रीय सरकार के कार्यालय' के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात्-
 - (i) केंद्रीय सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय
 - (ii) केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति, या अधिकरण का कोई कार्यालय और
 - (iii) केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कंपनी का कोई कार्यालय
- (ग) 'कर्मचारी' से केंद्रीय सरकार के कार्यालय में नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।

(घ) 'अधिसूचित कार्यालय' से नियम 10 के उप नियम (4) के अधीन अधिसूचित कार्यालय अभिप्रेत है।

(ङ.) 'हिंदी में प्रवीणता' से नियम 9 में वर्णित प्रवीणता अभिप्रेत है।

(च) 'क्षेत्र 'क' से उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड राज्य तथा दिल्ली एवं अंडमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है।

(छ) 'क्षेत्र 'ख' से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब तथा चंडीगढ़, संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है।

(ज) 'क्षेत्र 'ग' से खंड (च) और (छ) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है।

(झ) 'हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान' से नियम 10 में वर्णित कार्यसाधक ज्ञान अभिप्रेत है।

3. राज्यों आदि और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि

- (1) केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि, असाधारण दशाओं को छोड़कर हिंदी में होंगे और यदि उनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

राजभाषा नियम में अब तक तीन संशोधन हुए हैं

- (1) 1987 के संशोधन द्वारा अंडमान तथा निकोबार को 'क' क्षेत्र में लाया गया।
- (2) 2007 के संशोधन द्वारा बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विभाजन के बाद अस्तित्व में आए झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा उत्तराखंड को नामतः 'क' क्षेत्र में शामिल किया गया।
- (3) 2011 के संशोधन के द्वारा दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव को 'ख' क्षेत्र में शामिल किया गया है।

(2) केंद्रीय सरकार के कार्यालय से -

(क) क्षेत्र 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि सामान्यतया हिंदी में होंगे और यदि कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

परंतु यदि कोई ऐसा राज्य या संघ राज्यक्षेत्र यह चाहता है कि किसी विशिष्ट वर्ग के पत्रादि या उसके किसी कार्यालय के पत्रादि संबद्ध राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक अंग्रेजी या हिंदी में भेजे जाएं और उसके साथ दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भी भेजा जाए तो ऐसे पत्रादि उसी रीति से भेजे जाएंगे।

(ख) क्षेत्र 'ख' के किसी राज्य या संघ में किसी व्यक्ति को पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं।

(3) केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'ग' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में होंगे।

(4) उपनियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी क्षेत्र 'ग' में केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' या 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केंद्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं।

परंतु हिंदी में पत्रादि ऐसे अनुपात में होंगे जो

केंद्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिंदी को कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अवधारित करें।

4. केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि

(क) केंद्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग या और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं।

(ख) केंद्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और क्षेत्र 'क' में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी में होंगे और ऐसे अनुपात में होंगे जो केंद्रीय सरकार, ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे संबंधित आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करें।

(ग) क्षेत्र 'क' में स्थित केंद्रीय कार्यालय के ऐसे कार्यालयों के बीच जो खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट कार्यालयों से भिन्न हैं, पत्रादि हिंदी में हों।

(घ)* क्षेत्र 'क' स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों और क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं।

परंतु ये पत्रादि हिंदी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केंद्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं

* राजभाषा नियम में 1987 में नियम 4(घ) में संशोधन इस प्रकार किया गया-

4(घ) क्षेत्र 'क' स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों और क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं।

परंतु ये पत्रादि हिंदी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केंद्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करें।

और उससे अनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करें।

(ड.) क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं।

परंतु ये पत्रादि हिंदी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केंद्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखनेवाले व्यक्तियों की संख्या हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करें।

परंतु जहां ऐसे पत्रादि -

(i) क्षेत्र 'क' या क्षेत्र 'ख' के किसी कार्यालय को संबोधित है वहां यदि आवश्यक हो तो, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद पत्रादि प्राप्त करने के स्थान पर किया जाएगा।

(ii) क्षेत्र 'ग' में किसी कार्यालय को संबोधित है, वहां उनका दूसरी भाषा में अनुवाद उनके साथ भेजा जाएगा।

परंतु यह और कि यदि कोई पत्रादि किसी अधिसूचित कार्यालय को संबोधित है तो दूसरी भाषा में ऐसा अनुवाद उपलब्ध कराने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

5. हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर

नियम 3 और नियम 4 में किसी बात के होते हुए भी, हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर केंद्रीय सरकार के कार्यालय से हिंदी में दिए जाएंगे।

6. हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग

अधिनियम-1963 की धारा-3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करनेवाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसे दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही में तैयार किए जाते हैं, निष्पादित किए जाते हैं और जारी किए जाते हैं।

7. आवेदन, अभ्यावेदन आदि

(1) कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है।

(2) जब उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी में किया गया हो या उस पर हिंदी में हस्ताक्षर किए गए हों तब उसका उत्तर हिंदी में दिया जाएगा।

(3) यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी विषयों (जिनके अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियां भी हैं) से संबंधित कोई आदेश या सूचना, जिनका कर्मचारी पर तामील किया जाना अपेक्षित है, यथास्थिति, हिंदी या अंग्रेजी में होनी चाहिए तो वह उसे असम्यक विलंब के बिना उसी भाषा में दी जाएगी।

8. केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणियों का लिखा जाना

(1) कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पण या कार्यवृत्त हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करें।

(2) केंद्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी, जो हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखता हो, हिंदी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है, जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है, अन्यथा नहीं।

(3) यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं तो विभाग या कार्यालय का प्रधान उसका विनिश्चय करेगा।

(4) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जहां ऐसे कर्मचारियों द्वारा, जिन्हें हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, टिप्पणी, प्रारूपण और ऐसे

अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, केवल हिंदी का प्रयोग किया जाएगा।

9. हिंदी में प्रवीणता प्राप्त

यदि किसी कर्मचारी ने-

- (क) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है; या
- (ख) स्नातक परीक्षा में या स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उसके उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था; या
- (ग) यदि वह इन नियमों में उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है; तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

10. हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान

1.(क) यदि किसी कर्मचारी ने-

- (i) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है; या
 - (ii) केंद्रीय सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या, यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या
 - (iii) केंद्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या
 - (ख) यदि वह इन नियमों में उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है; तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी का कार्यसाधक प्राप्त कर लिया है।
- (2) यदि केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से अस्सी

प्रतिशत ने हिन्दी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

- (3) केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी यह अवधारित कर सकता है कि केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं।
- (4) केंद्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे; परन्तु यदि केंद्रीय सरकार की राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख में से उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम हो गया है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उक्त कार्यालय उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय नहीं रह जाएगा।

11. मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि-

- (1) केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।
- (2) केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जानेवाले रजिस्ट्रों के प्रारूप और शीर्षक हिंदी और अंग्रेजी में होंगे।
- (3) केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्र शीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मर्दे हिंदी और

अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह, साधारण या विशेष आदेश द्वारा केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं उपबंधों से छूट दे सकती है।

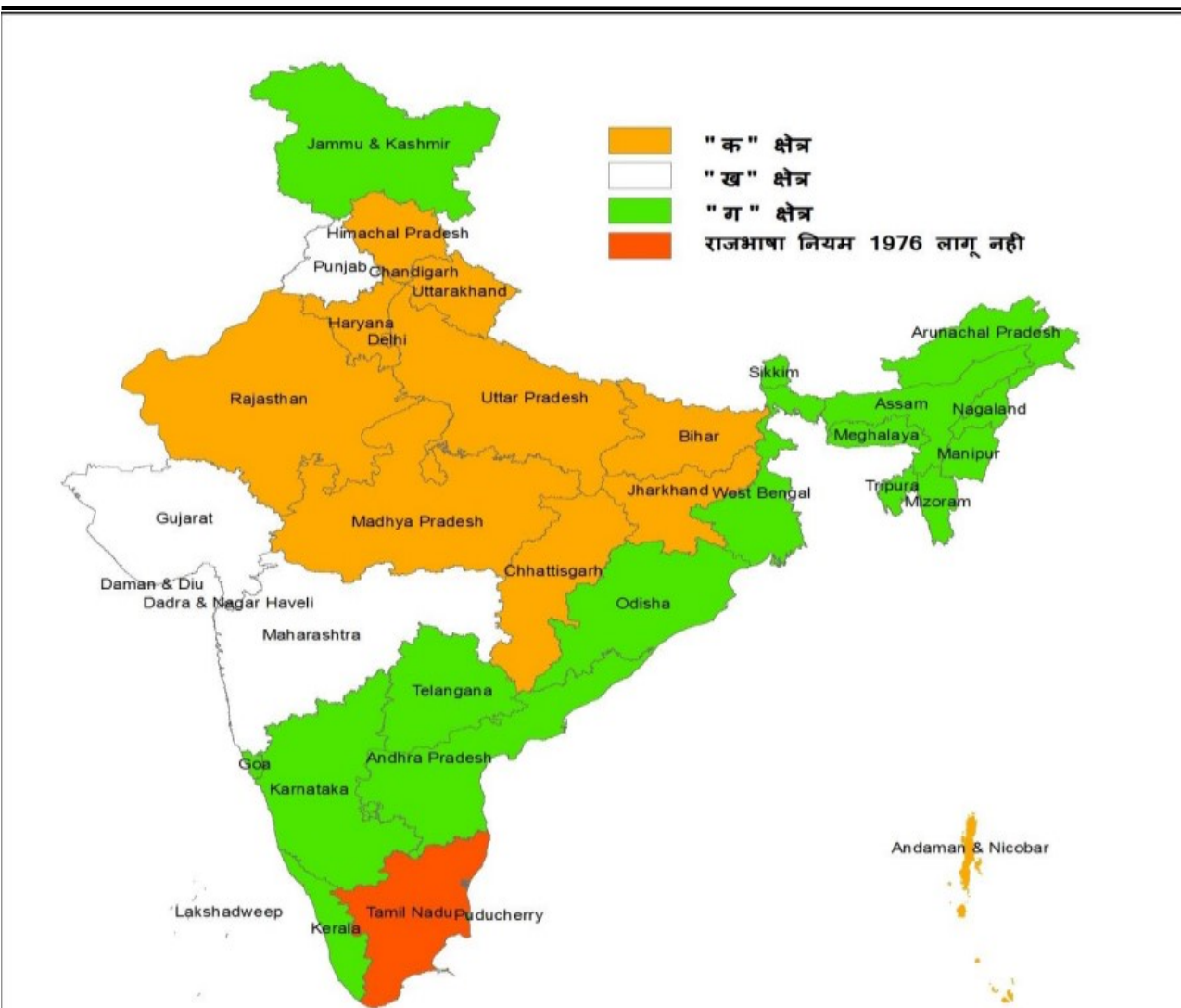
12. अनुपालन का उत्तरदायित्व -

- (1) केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह-

- (i)* यह सुनिश्चित करें कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों और उप नियम (2) के अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है और
 - (ii) इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करें।
- (2) केंद्रीय सरकार अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के सम्यक अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय-समय पर आवश्यक निदेश जारी कर सकती है।

* राजभाषा नियम में 1987 में नियम 12(1) के (i) में संशोधन इस प्रकार किया गया-

12(1) का (i) - यह सुनिश्चित करें कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों और उप नियम (2) के अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है।



हिंदी प्रोत्साहन एवं पुरस्कार योजनाएं

आशुलिपिकों/टाइपिस्टों को देय प्रोत्साहन भत्ता

अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी टाइपिंग/हिंदी आशुलिपि का कार्य करने वाले अंग्रेजी टंकक/आशुलिपिकों को क्रमशः 160/- रुपए तथा 240/- रुपए हिंदी प्रोत्साहन भत्ता प्रतिमाह की दर से दिया जाता है।

हिंदी डिक्टेशन देने वाले अधिकारियों को देय पुरस्कार

इस योजना के अंतर्गत हिंदी में डिक्टेशन देने वाले एक हिंदी भाषी और एक हिंदीतर भाषी रेल अधिकारी को प्रतिवर्ष निम्नानुसार नकद पुरस्कार दिए जाते हैं।

क एवं ख क्षेत्र के अधिकारियों के लिए

20,000 शब्द सीमा - 5000/- रुपए

ग क्षेत्र के अधिकारियों के लिए

10,000 शब्द सीमा - 5000/- रुपए

मूल हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन पुरस्कार योजना

सरकारी कामकाज में वर्ष के दौरान 20 हजार या अधिक शब्द हिंदी में लिखने वाले कर्मचारी इस योजना में भाग लेने के पात्र हैं और प्रत्येक विभाग/यूनिट को दस पुरस्कार दिए जा सकते हैं :-

प्रथम पुरस्कार (दो) - 5000/- रुपए

द्वितीय पुरस्कार (तीन)- 3000/- रुपए

तृतीय पुरस्कार (पांच) - 2000/- रुपए

रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता

इस योजना का उद्देश्य रेल कर्मचारियों को रेल संचालन और प्रबंधन संबंधी विषयों पर निबंध लेखन के प्रति प्रेरित करना है। निबंध 2500 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। योजना के अंतर्गत राजपत्रित अधिकारियों और अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए अलग-अलग निम्नलिखित पुरस्कार निर्धारित हैं:-

प्रथम पुरस्कार - 6000/- रुपए

द्वितीय पुरस्कार - 4000/- रुपए

हिंदी निबंध और वाक् प्रतियोगिताएं

रेल कार्यालयों में राजभाषा प्रयोग-प्रसार बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा प्रेरणा पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों को निम्नलिखित राशि प्रदान की जाती है :-

अखिल भारतीय स्तर पर

प्रथम पुरस्कार - 3000/- रुपए

द्वितीय पुरस्कार - 2500/- रुपए

तृतीय पुरस्कार - 2000/- रुपए

प्रेरणा पुरस्कार (पांच)- 1500/- रुपए

क्षेत्रीय स्तर पर

प्रथम पुरस्कार - 2000/- रुपए

द्वितीय पुरस्कार - 1600/- रुपए

तृतीय पुरस्कार - 1200/- रुपए

प्रेरणा पुरस्कार (तीन)- 800/- रुपए

हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता

यह प्रतियोगिता अखिल भारतीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा प्रेरणा पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों को निम्नलिखित राशि प्रदान की जाती है :-

अखिल भारतीय स्तर पर

प्रथम पुरस्कार - 3000/- रुपए

द्वितीय पुरस्कार - 2500/- रुपए

तृतीय पुरस्कार - 2000/- रुपए

प्रेरणा पुरस्कार (पांच)- 1500/- रुपए

क्षेत्रीय स्तर पर

प्रथम पुरस्कार - 2000/- रुपए

द्वितीय पुरस्कार - 1600/- रुपए

तृतीय पुरस्कार - 1200/- रुपए

प्रेरणा पुरस्कार (तीन)- 800/- रुपए

रेल मंत्री व्यक्तिगत पुरस्कार

इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष हिंदी में प्रशंसनीय कार्य करनेवाले रेल कर्मियों को रेलवे के लिए आवंटित कोटा संख्या के हिसाब से प्रशस्ति-पत्र के साथ 3000/- रुपये पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जाता है।

रेल मंत्री राजभाषा शील्ड/ट्रॉफी पुरस्कार योजना

इस योजना के तहत रेल मंत्रालय द्वारा 'क', 'ख' तथा 'ग' क्षेत्र में स्थित प्रधान कार्यालयों/मंडलों तथा उत्पादन कारखानों को राजभाषा में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने हेतु अलग-अलग शील्ड, ट्रॉफी तथा चल वैजयंती प्रदान की जाती है। चुने गए सर्वश्रेष्ठ आदर्श स्टेशन/कारखाना को शील्ड के साथ-साथ 7000/-, 7000/- रुपये की नकद राशि भी प्रदान की जाती है, जिसे कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच समान रूप से वितरित किया जाता है।

लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन योजना

रेलों से संबंधित तकनीकी विषयों पर मूल रूप से हिंदी में पुस्तकें लिखने वाले प्रतिभावान रेल कर्मियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रेलवे बोर्ड ने यह योजना लागू की है। पुस्तक मौलिक रचना होनी चाहिए। पुस्तक का विषय रेल संचालन या रेल प्रबंध से संबंधित होना चाहिए। पुस्तक सामान्यतः 100 पृष्ठ से कम नहीं होनी चाहिए। जिन पुस्तकों को इस पुरस्कार योजना के लिए पहले प्रस्तुत किया जा चुका है, उन्हें दोबारा प्रस्तुत नहीं किया जाए। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित राशि प्रदान की जाती है।

प्रथम पुरस्कार (एक) - 20,000/- रुपये
द्वितीय पुरस्कार (एक)- 10,000/- रुपये
तृतीय पुरस्कार (एक) - 7,000/- रुपये

प्रेमचन्द पुरस्कार योजना

रेल कर्मियों की साहित्यिक प्रतिभा और अभिरुचि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय

में कथा संग्रह/उपन्यास और कहानी पुस्तक लेखन पर प्रेमचन्द पुरस्कार योजना चला रखी है। पुस्तक लेखक की मौलिक कृति होनी चाहिए और पहले कहीं से पुरस्कृत न हो। किसी अन्य भाषा से ली गई अनूदित अथवा सम्पादित पुस्तकों पर विचार नहीं किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत एक लेखक को लगातार दो वर्ष तक पुरस्कृत नहीं किया जाएगा।

प्रथम पुरस्कार (एक) - 20,000/- रुपये
द्वितीय पुरस्कार (एक)- 10,000/- रुपये
तृतीय पुरस्कार (एक) - 7,000/- रुपये

मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार योजना

इस योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ काव्य संग्रह के लिए पुरस्कृत किया जाता है। पुस्तक लेखक की मौलिक कृति होनी चाहिए और पहले कहीं से पुरस्कृत न हो। किसी अन्य भाषा से ली गई अनूदित अथवा सम्पादित पुस्तकों पर विचार नहीं किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत एक लेखक को लगातार दो वर्ष तक पुरस्कृत नहीं किया जाएगा।

प्रथम पुरस्कार (एक) - 20,000/- रुपये
द्वितीय पुरस्कार (एक)- 10,000/- रुपये
तृतीय पुरस्कार (एक) - 7,000/- रुपये

रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना

आम लोगों और रेल कर्मियों के रेल यात्रा संबंधी अनुभव के आधार पर प्रत्येक कलेंडर वर्ष में पाए गए सर्वोत्तम यात्रा वृत्तांत के लिए निम्नानुसार नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं :-

प्रथम पुरस्कार (एक) - 10,000/- रुपये
द्वितीय पुरस्कार (एक)- 8,000/- रुपये
तृतीय पुरस्कार (एक) - 6,000/- रुपये
प्रेरणा पुरस्कार (पांच)- 4,000/- रुपये

राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना

भारत सरकार की राजभाषा नीति के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्डों/स्वायत्त

निकायों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को पुरस्कार स्वरूप राजभाषा शील्ड प्रदान करके सम्मानित किया जाता है।

राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना

इसके अंतर्गत निम्नलिखित तीन पुरस्कार योजनाएं हैं:-

- (1) भारत के नागरिकों के लिए हिंदी में ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार (नकद के साथ प्रमाणपत्र एवं स्मृति चिह्न) प्रदान किए जाते हैं:-

प्रथम पुरस्कार	-	2,00,000/-	रुपए
द्वितीय पुरस्कार	-	1,25,000/-	रुपए
तृतीय पुरस्कार	-	75,000/-	रुपए
प्रेरणा पुरस्कार(दस)	-	10,000/-	रुपए

- (2) केन्द्र सरकार के कार्मिकों (सेवानिवृत्त सहित) के लिए हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार (नकद के साथ प्रमाणपत्र एवं स्मृति चिह्न) प्रदान किए जाते हैं:-

प्रथम पुरस्कार	-	1,00,000/-	रुपए
द्वितीय पुरस्कार	-	75,000/-	रुपए
तृतीय पुरस्कार	-	60,000/-	रुपए
प्रेरणा पुरस्कार(दस)	-	30,000/-	रुपए

- (3) केन्द्र सरकार के कार्मिकों (सेवानिवृत्त सहित) के लिए हिंदी में उत्कृष्ट लेख हेतु पुरस्कार (नकद के साथ प्रमाणपत्र एवं स्मृति चिह्न) प्रदान किए जाते हैं:-

	हिंदी भाषी	हिंदीतर भाषी
प्रथम पुरस्कार	- 20,000/-	25,000/-
द्वितीय पुरस्कार	- 18,000/-	22,000/-
तृतीय पुरस्कार	- 15,000/-	20,000/-

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं आदि के लिए मानदेय

रेलों द्वारा प्रकाशित हिंदी पत्रिकाओं प्रकाशित मूल लेखों, निबंध, कहानी, कविताओं एवं रेखाचित्रों के लिए निम्नानुसार नकद मानदेय दिए जाने का प्रावधान है-

लेख/निबंध/कहानी	-	500/-	रुपए
कविता/रेखाचित्र	-	200/-	रुपए

हिंदी परीक्षाएं पास करने पर पुरस्कार

गैर हिंदी भाषा-भाषियों के लिए हिंदी प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ पाठ्यक्रम है। इन पाठ्यक्रमों की अवधि 5-5 महीनों की है। वे पाठ्यक्रम पूर्णकालिक हैं और इन्हें नियत कार्य दिवसों में पूरा किया जाता है। पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए जाते हैं तथा विशेष योग्यता के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर निम्नलिखित राशि प्रदान की जाती है :

70% से अधिक अंक प्राप्त करने पर
प्रबोध को 1600/-, प्रवीण को 1800/- तथा प्राज्ञ को 2400/- रुपए।

60% से 69% तक अंक प्राप्त करने पर
प्रबोध को 800/-, प्रवीण को 1200/- तथा प्राज्ञ को 1600/- रुपए।

55% से 59% तक अंक प्राप्त करने पर
प्रबोध को 400/-, प्रवीण को 600/- तथा प्राज्ञ को 800/- रुपए।

हिंदी परीक्षाएं पास करने पर नियमानुसार एक वर्ष हेतु वैयक्तिक वेतन भी दिया जाता है।

निजी प्रयत्नों से हिंदी परीक्षा पास करने पर कर्मचारियों को एकमुश्त पुरस्कार

प्रबोध	-	1600/-	रुपए
प्राज्ञ	-	2400/-	रुपए
प्रवीण	-	1500/-	रुपए

हिंदी टाइपिंग/हिंदी आशुलिपि परीक्षा निजी तौर पर पास करने पर एकमुश्त पुरस्कार

हिंदी टाइपिंग	-	800/-	रुपए
हिंदी आशुलिपि	-	1500/-	रुपए

इसके लिए टाइपिस्टों तथा हिंदी भाषा आशुलिपिकों को 12 माह के लिए एक वैयक्तिक वेतनवृद्धि के बराबर की राशि का लाभ तथा हिंदीतर भाषी आशुलिपिकों को दो वेतनवृद्धि के बराबर की राशि का लाभ।

क्षेत्रीय रेल अधिकारियों के अद्यतन पदनाम

पदनाम (हिंदी/अंग्रेजी)	संक्षिप्त पदनाम (हिंदी/अंग्रेजी)
महाप्रबंधक GENERAL MANAGER	मप्र GM
अपर महाप्रबंधक ADDL GENERAL MANAGER	अमप्र AGM
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक SR. DY. GENERAL MANAGER	वउमप्र SDGM
महाप्रबंधक के सचिव SECRETARY TO GENERAL MANAGER	मप्र के सचिव SECY to GM
मुख्य सतर्कता अधिकारी CHIEF VIGILANCE OFFICER	मुसताधि CVO
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी CHIEF PUBLIC RELATION OFFICER	मुजसंधि CPRO
मुख्य राजभाषा अधिकारी MUKHYA RAJBHASHA ADHIKARI	मुराधि MRA
मुख्य सुरक्षा आयुक्त CHIEF SECURITY COMMISSIONER	मुसुआ CSC
प्रमुख वित्त सलाहकार PRINCIPAL FINANCE ADVISOR	प्रविस PFA
प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक PRINCIPAL CHIEF MATERIAL MANAGER	प्रमुसाप्र PCMM
प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर PRINCIPAL CHIEF ELECTRICAL ENGINEER	प्रमुविइं PCEE
प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक PRINCIPAL CHIEF COMMERCIAL MANAGER	प्रमुवाप्र PCCM
प्रमुख मुख्य इंजीनियर PRINCIPAL CHIEF ENGINEER	प्रमुइं PCE
प्रमुख मुख्य सिगनल एवं दूर संचार इंजीनियर PRINCIPAL CHIEF SIGNAL & TELECOMMUNICATION ENGINEER	प्रमुसिदूइं PCSTE
प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी PRINCIPAL CHIEF PERSONNEL OFFICER	प्रमुकाधि PCPO
प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक PRINCIPAL CHIEF MEDICAL DIRECTOR	प्रमुचिनि PCMD

प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक PRINCIPAL CHIEF OPERATION MANAGER	प्रमुपरिप्र PCOM
प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजीनियर PRINCIPAL CHIEF MECHANICAL ENGINEER	प्रमुयांइं PCME
मुख्य संरक्षा अधिकारी CHIEF SAFETY OFFICER	मुसंधि CSO
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण CHIEF ADMINISTRATION OFFICE/CON	मुप्रशाअधि/नि. CAO/Con
मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक CHIEF PASSENGER TRAFFIC MANAGER	मुयापरिप्र CPTM
मुख्य मालभाड़ा परिवहन प्रबंधक CHIEF FREIGHT TRAFFIC MANAGER	मुमाभापरिप्र CFTM
मुख्य कारखाना इंजीनियर CHIEF WORKSHOP ENGINEER	मुकाइं CWE
मुख्य चल स्टॉक इंजीनियर CHIEF ROLLING STOCK ENGINEER	मुचस्टांइं CRSE
मुख्य सिगनल इंजीनियर CHIEF SIGNAL ENGINEER	मुसिइं CSE
मुख्य स्वास्थ्य निदेशक CHIEF HEALTH DIRECTOR	मुस्वानि CHD
मंडल रेल प्रबंधक DIVISIONAL RAILWAY MANAGER	मंरेप्र DRM
अपर मंडल रेल प्रबंधक ADDITIONAL DIVISIONAL RAILWAY MANAGER	अमंरेप्र ADRM
मुख्य कारखाना प्रबंधक CHIEF WORKSHOP MANAGER	मुकाप्र CWM
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक CHIEF MEDICAL SUPERINTENDENT	मुचिधी CMS
वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक SENIOR DIVISIONAL FINANCE MANAGER	वमंविप्र SR.DFM
वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी SENIOR RAJBHASHA ADHIKARI	वराधि Sr.RBA
राजभाषा अधिकारी RAJBHASHA ADHIKARI	राधि RBA

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2017-18 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र सं	कार्य विवरण	'क' क्षेत्र		'ख' क्षेत्र		'ग' क्षेत्र	
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल, फैक्स, बेतार संदेश आदि सहित)	1. 'क' क्षेत्र से क क्षेत्र को	100%	1. 'ख' क्षेत्र से क क्षेत्र को	90%	1. 'ग' क्षेत्र से क क्षेत्र को	55%
		2. 'क' क्षेत्र से ख क्षेत्र को	100%	2. 'ख' क्षेत्र से ख क्षेत्र को	90%	2. 'ग' क्षेत्र से ख क्षेत्र को	55%
		3. 'क' क्षेत्र से ग क्षेत्र को	65%	3. 'ख' क्षेत्र से ग क्षेत्र को	55%	3. 'ग' क्षेत्र से ग क्षेत्र को	55%
		4. 'क' क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ के कार्यालय/व्यक्ति	100%	4. 'ख' क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ के कार्यालय/व्यक्ति	100%	4. 'ग' क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ के कार्यालय/व्यक्ति	85%
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर	100%		100%		100%	
3.	हिंदी में टिप्पण	75%		50%		30%	
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%		60%		30%	
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%		70%		40%	
6.	हिंदी डिक्शनरी/की-बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%		55%		30%	
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%		100%		100%	
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%		100%		100%	
9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%		50%		50%	

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2017-18 का वार्षिक कार्यक्रम

10.	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद	100%	100%	100%
11.	वेबसाइट	100% (द्विभाषी)	100% (द्विभाषी)	100% (द्विभाषी)
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन	100% (द्विभाषी)	100% (द्विभाषी)	100% (द्विभाषी)
13.	(i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों) (उ.स./निदे/सं.स) द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	25% (न्यूनतम)	25%(न्यूनतम)	25%(न्यूनतम)
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25%(न्यूनतम)	25%(न्यूनतम)	25%(न्यूनतम)
	(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/ उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण	वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण		
14.	राजभाषा संबंधी बैठके (क) हिंदी सलाहकार समिति (ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 2 बैठकें (कम से कम) वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक) वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)		
15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया और साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%		

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

भारत सरकार के सभी कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों आदि में राजभाषा कार्यान्वयन को सुचारू, सुनियोजित और प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर राजभाषा समितियों का गठन किया गया है।

केन्द्रीय हिंदी समिति

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित इस समिति में कुल 41 सदस्य हैं, जिनमें छह मंत्रालयों-विदेश मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, संचार और सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय तथा कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन विभाग के मंत्री शामिल हैं। स्थापित व्यवस्था के अनुसार इस समिति में राज्यों का प्रतिनिधित्व छह राज्यों जैसे देश के तीन भाषीय क्षेत्रों नामतः क, ख, ग, एवं प्रति क्षेत्र से दो मुख्य मंत्रियों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में छह राज्यों असम, बिहार, केरल, ओडिशा, पंजाब और राजस्थान के मुख्यमंत्री शामिल हैं। संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष और इसकी तीनों उप-समितियों के संयोजक कुल मिलाकर चार व्यक्ति इस समिति के पदेन सदस्य हैं। इनके अतिरिक्त देश भर से 21 प्रख्यात विद्वान और साहित्यकार, और केन्द्रीय गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के सचिव भी इसके सदस्य हैं।

केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति

केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में संविधान के प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा संकल्प, 1968 और राजभाषा नियम 1976 के उपबंधों तथा संसदीय राजभाषा समिति की संस्तुतियों के आलोक में महामहिम राष्ट्रपति के आदेशों के अनुसार सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के

कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है। मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा हिंदी का कार्य देख रहे प्रभारी अधिकारी (संयुक्त सचिव स्तर) समिति के पदेन सदस्य होते हैं। इस समिति की बैठक का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है।

हिंदी सलाहकार समिति

सभी मंत्रालयों में भारत सरकार का राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुचारू रूप से लागू कराने एवं उस पर निगरानी रखने के लिए संबंधित मंत्रालय के केबिनेट/राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति गठित है, जिनकी वर्ष में कम से कम दो बैठकें होनी आवश्यक है।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

केन्द्र सरकार के देश भर में फैले कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने और भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार के 10 या 10 से अधिक कार्यालयों वाले नगर विशेष में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंको आदि के वरिष्ठतम अधिकारियों में से एक अधिकारी की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के सचिव के अनुमोदन से नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की जाती है। वर्तमान में पूरे देश में 385 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित हैं। इस समिति की वर्ष में 2 बैठकें आयोजित करना आवश्यक है। इन बैठकों में सभी सदस्य कार्यालयों/उपक्रमों/बैंको आदि में राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा की जाती है। समिति द्वारा सदस्य कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए समय-समय पर हिंदी प्रशिक्षण, प्रतियोगिताएं तथा हिंदी कार्यशालाओं

आदि की व्यवस्था की जाती है। समिति द्वारा सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सभी सदस्य कार्यालयों को राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम तथा समय-समय पर जारी विभिन्न आदेशों एवं दिशा निर्देशों के बारे में व्यापक जानकारी दी जाती है।

रेलवे पर गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियां

उल्लेखनीय है कि रेल मंत्री जी की अध्यक्षता में रेलवे हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया जाता है जिसकी वर्ष में दो बैठकें अपेक्षित हैं। इसके अलावा निम्नलिखित स्तर पर समितियां कार्यशील हैं:-

रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति

रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड में राजभाषा हिंदी के प्रयोग-प्रसार की समीक्षा करने के लिए अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड की अध्यक्षता में रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है। इस समिति का प्रमुख उद्देश्य रेलवे बोर्ड कार्यालय में राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन, हिंदी में पत्राचार, हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देने, फाइल पर हिंदी में टिप्पणी, वैबसाइट, जांचस्थल की सक्रियता आदि के संबंध में विचार-विमर्श करना है। इस समिति की हर तिमाही में एक अर्थात वर्ष में चार बैठकें आयोजित की जाती है।

क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति

क्षेत्रीय रेलों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग-प्रसार की समीक्षा करने के लिए महाप्रबंधक की अध्यक्षता में क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है। इस समिति सदस्यों में सभी प्रमुख

विभागाध्यक्ष, मंडलों के अपर मंडल रेल प्रबंधक, मुख्य कारखाना प्रबंधक, संबंधित क्षेत्र में आने वाले रेलवे भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष, रेल दावा अधिकरण के अपर निबंधक शामिल हैं। यह समिति अपनी रेलवे में राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में विचार-विमर्श करती है। इस समिति की हर तिमाही में एक अर्थात वर्ष में चार बैठकें आयोजित की जाती है।

मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति

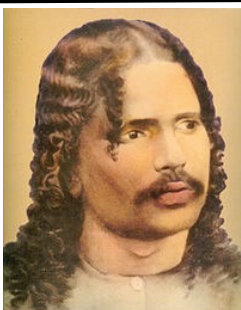
क्षेत्रीय रेलों के सभी मंडलों में संबंधित मंडल रेल प्रबंधक की अध्यक्षता में मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है। मंडल के सभी शाखा अधिकारी इस समिति के सदस्य हैं। इस समिति की हर तिमाही में एक अर्थात वर्ष में चार बैठकें आयोजित की जाती है।

कारखाना राजभाषा कार्यान्वयन समिति

कारखानों या उत्पादन इकाइयों या अन्य इकाइयों संबंधित सर्वोच्च अधिकारी की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित है। इन समितियों की भी हर तिमाही में एक अर्थात वर्ष में चार बैठकें आयोजित की जाती है।

स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति

बड़े रेलवे स्टेशनों पर संबंधित स्टेशन अधीक्षक की अध्यक्षता में स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित हैं। इन समितियों में स्टेशन परिसर में स्थित सभी कार्यालयों के शाखा अधिकारी या पर्यवेक्षक इनके सदस्य हैं। इन समितियों की भी हर तिमाही में एक अर्थात वर्ष में चार बैठकें आयोजित की जाती है।



बाबू भारतेन्दु हरिश्चंद्र

जन्म- 9 सितम्बर, 1850 (वाराणसी) **मृत्यु-** 6 जनवरी, 1885 (वाराणसी)

कर्मक्षेत्र- रचनाकार, साहित्यकार **मुख्य रचनाएँ** उपाधि=प्रेममालिका (1871), प्रेम माधुरी (1875), प्रेम-तरंग (1877), अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, कृष्णचरित्र, आधुनिक हिन्दी साहित्य

कंप्यूटर में हिंदी यूनिकोड सक्रिय करना

विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटरों में हिंदी यूनिकोड इनबिल्ट होता है। इसे केवल सक्रिय करने की आवश्यकता होती है। इसके सक्रिय करना काफी आसान है। सक्रिय होने के पश्चात डिफाल्ट में इंस्क्रिप्ट की-बोर्ड एवं मंगल फांट मिलता है। यूनिकोड सक्रिय होने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन में नीचे System tray में **EN** दिखने लगेगा। System tray में **EN** पर क्लिक करके या की-बोर्ड के बायीं ओर वाले ALT+Shift को एकसाथ दबाकर **EN (English)** या **HI (Hindi)** में काम कर सकते हैं।

हिंदी यूनिकोड सक्रिय करने की विधि इस प्रकार है:-

विंडोज़ एक्स-पी के लिए

Start > Control Panel > Regional & Language Options > Languages Tab

Choose the Country – India. Tick the Check box to **Install files for complex scripts...** and click **OK**.

अब कंप्यूटर Windows XP की सीडी मांगेगा। सीडी डाइव में सीडी डालने पर कंप्यूटर स्वतः हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं को इंस्टाल कर लेगा। इंस्टाल होने के बाद कंप्यूटर को पुनः रीबूट करें।

रीबूट होने के पश्चात पुनः उपर्युक्त steps के द्वारा **Languages Tab** में **Details** पर क्लिक करें और फिर **Keyboard** और फिर **Add** पर क्लिक करें।

Hindi का चयन करें और **Keyboard layout** के लिए **Devnagari – INSCRIPT** का चयन करके **OK** दबाएं और कंप्यूटर Reboot करें। लीजिए आपके कंप्यूटर में हिंदी यूनिकोड सक्रिय हो गया।

विंडोज़ विस्टा/विंडोज़-7 के लिए

Start > Control Panel > Regional and Language > Location – India.

Keyboard and Languages Tab > Change Keyboard > General Tab > Add > Hindi > Keyboard > Devnagari – INSCRIPT

विंडोज़-8 एवं 8.1 के लिए

Start > Control Panel > Clock, Language and Region > Region > Administrative Tab > Language for non-Unicode programs > Select Language – Hindi

विंडोज़-10 के लिए

Start > Setting > Time and Language > Region and Language > Region – India > Select Language - Hindi

राजभाषा प्रश्नोत्तरी

विभागीय परीक्षाओं में हिंदी माध्यम का विकल्प देना एवं अन्य प्रश्नों के साथ-साथ राजभाषा विषयक प्रश्न दिया जाना अनिवार्य है। विभागीय परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर सहित विवरण निम्नवत् है:-

- | | |
|---|--|
| प्र.1 भारत संघ की राजभाषा क्या है? | उ. क्षेत्र (क) और क्षेत्र (ख) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न अन्य राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र |
| उ. देवनागरी लिपि में हिंदी | |
| प्र.2 संसद में संविधान का भाग-17 किस तारीख को पारित हुआ? | प्र.9 हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है |
| उ. 14 सितंबर 1949 | उ. 14 सितंबर |
| प्र.3 राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? | प्र.10 अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? |
| उ. 10 मई 1963 | उ. अंग्रेजी |
| प्र.4 राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ? | प्र.11 राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रभावी हुई? |
| उ. 1967 | उ. 26 जनवरी 1965 |
| प्र.5 राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत तीन क्षेत्र कौन-कौन से हैं? | प्र.12 राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है? |
| उ. क, ख तथा ग क्षेत्र | उ. संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है। |
| प्र.6 क क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन-कौन से हैं? | प्र.13 राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में है? |
| उ. बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र | उ. भाग 17 |
| प्र.7 ख क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन से हैं? | प्र.14 राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 का संबंध किसके साथ है? |
| उ. गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र | उ. उच्च न्यायालय के निर्णयों में हिंदी या अन्य राजभाषा के वैकल्पिक प्रयोग से संबंधित है। |
| प्र.8 ग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन से हैं? | प्र.15 राजभाषा अधिनियम 1963 की धाराएं 6 एवं 7 किस राज्य में लागू नहीं होती? |
| | उ. जम्मू एवं कश्मीर राज्य |
| | प्र.16 किन-किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? |

- उ. आंध्र प्रदेश एवं बिहार
- प्र.17 रेल मंत्रालय का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन-सी उपसमिति करती है
- उ. दूसरी उपसमिति
- प्र.18 राजभाषा विभाग में प्रयुक्त राकास से आप क्या समझते हैं?
- उ. राजभाषा कार्यान्वयन समिति
- प्र.19 केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी के कौन-कौन से पाठ्यक्रम निर्धारित हैं?
- उ. प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ
- प्र.20 केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन हैं?
- उ. प्रधानमंत्री
- प्र.21 संबंधित मंत्रालय या विभाग में हिंदी के प्रचार में प्रगति की समीक्षा किस समिति द्वारा की जाती है?
- उ. हिंदी सलाहकार समिति
- प्र.22 संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ?
- उ. जनवरी 1976
- प्र.23 राजभाषा की संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं?
- उ. 30. (20 लोकसभा के तथा 10 राज्यसभा के)
- प्र.24 केंद्र सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम, पदनाम एवं साइन बोर्ड को भाषा की दृष्टि से किस क्रम में प्रदर्शित किया जाता है?
- उ. सबसे ऊपर हिंदी उसके नीचे अंग्रेजी
- प्र.25 संविधान की आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल की गई हैं?
- उ. 22 (असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगू, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, एवं डोगरी)
- प्र.26 राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होता?
- उ. तमिलनाडु
- प्र.27 राजभाषा की संसदीय समिति का मुख्य कार्य क्या है?
- उ. हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करना एवं राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना।
- प्र.28 प्रमुख नगरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं?
- उ. नगर के वरिष्ठतम अधिकारी
- प्र.29 राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता क्या है?
- उ. 3 महीने में एक बार
- प्र.30 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता क्या है?
- उ. 6 महीने में एक बार
- प्र.31 राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है?
- उ. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय
- प्र.32 अहिंदी भाषी क्षेत्रों के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए राजभाषा अधिनियम में कब संशोधन किया गया?
- उ. 1967 में
- प्र.33 राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद संविधान के किस भाग में हैं?

- उ. भाग-17 - सत्रहवें भाग
- प्र.34 केंद्र सरकार के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम क्या है?
- उ. प्राज्ञ
- प्र.35 हिंदी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित होने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कौन-कौन सी प्रशिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध हैं?
- उ. नियमित, गहन, पत्राचार एवं निजी
- प्र.36 हिंदी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित होने के लिए कौन अर्ह होंगे?
- उ. केन्द्र सरकार के श्रेणी घ व ऊपर के अधिकारी एवं कर्मचारी
- प्र.37 रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन का नाम किस क्रम में प्रदर्शित किया जाता है?
- उ. क्रमशः प्रादेशिक भाषा, हिंदी, अंग्रेज़ी
- प्र.38 आम जनता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले फार्मों को किस क्रम में तैयार किया जाता है?
- उ. द्विभाषी (हिंदी व अंग्रेज़ी)
- प्र.39 रबड़ मुहरों को किस प्रकार तैयार किया जाना है?
- उ. हिंदी-अंग्रेज़ी द्विभाषी रूप में - एक लाइन हिंदी और एक लाइन अंग्रेज़ी
- प्र.40 संविधान के भाग-5 में राजभाषा नीति संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद में है?
- उ. अनुच्छेद 120
- प्र.41 संविधान के आठवीं अनुसूची का संदर्भ किन अनुच्छेदों में है?
- उ. अनुच्छेद 344(1) 351
- प्र.42 राजभाषा नियम कब बनाया गया?
- उ. 1976
- प्र.43 संविधान के 17 भाग में कितने अनुच्छेद हैं?

- उ. 9 नौ
- प्र.44 केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन-सा कार्यालय हिंदी परीक्षाएँ चलाता है?
- उ. गृह मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
- प्र.45 अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब हुई?
- उ. वर्ष 1955 में
- प्र.46 राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
- उ. श्री बालासाहब गंगाधर खेर
- प्र.47 राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे?
- उ. श्री गोविन्द बल्लभ पंत
- प्र.48 भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी भाग 6 में कौन-सा अनुच्छेद है?
- उ. अनुच्छेद 210
- प्र.49 वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे?
- उ. तत्कालीन गृह मंत्री श्री ओम मेहता
- प्र.50 राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है?
- उ. सरकार का सरकारी काम-काज जिस भाषा में किया जाता है वह राजभाषा है और देश की अधिकांश जनता जिस भाषा को बोलती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं अर्थात् पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा ही राष्ट्रभाषा कहलाती है। इस प्रकार संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल सभी 22 भारतीय भाषाएं राष्ट्रभाषाएं हैं।
- प्र.51 राजभाषा समितियों का गठन किस-किस स्तर पर किया गया है?
- उ. केंद्रीय हिंदी समिति (अध्यक्ष- प्रधानमंत्री)

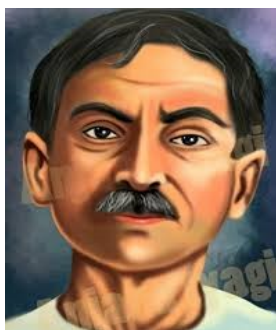
राजभाषा प्रश्नोत्तरी

- मंत्रालय स्तर पर (अध्यक्ष- संबंधित केन्द्रीय मंत्री)
- कार्यालय पर (अध्यक्ष- कार्यालय प्रमुख)
- नगर स्तर पर (अध्यक्ष- नगर का सर्वोच्च पदाधिकारी)
- प्र.52 केंद्रीय हिन्दी संस्थान किस मंत्रालय के अधीन है?
- उ. मानव संसाधन विकास मंत्रालय
- प्र.53 राजभाषा नियमों के अनुसार लक्षद्वीप को किस क्षेत्र में रखा गया है?
- उ. ग क्षेत्र में
- प्र.54 राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है?
- उ. देवनागरी
- प्र.55 राजभाषा नियम के अनुसार, अंदमान व निकोबार द्वीप किस क्षेत्र में आता है?
- उ. क क्षेत्र में
- प्र.56 संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य हैं?
- उ. 30 (तीस)
- प्र.57 राजभाषा की संसदीय समिति में लोक सभा के कितने सदस्य हैं?
- उ. 20 (बीस)



सुमित्रानंदन पंत

जन्म- 20 मई, 1900 **जन्मभूमि-** कौसानी, उत्तराखण्ड
मृत्यु- 28 दिसंबर, 1977 **मृत्युस्थान-** इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
कर्मभूमि- इलाहाबाद **कर्म-क्षेत्र-** अध्यापक, लेखक, कवि
मुख्य रचनाएँ- वीणा, पल्लव, चिदंबरा, युगवाणी, लोकायतन, हार, आत्मकथात्मक संस्मरण- साठ वर्ष, युगपथ, स्वर्णकिरण, कला और बूढ़ा चाँद



प्रेमचंद

अन्य नाम - नवाब राय
जन्म- 31 जुलाई, 1880 **जन्म भूमि-** लमही गाँव, वाराणसी
मृत्यु - 8 अक्टूबर 1936 **मृत्यु स्थान-** वाराणसी, उत्तर प्रदेश
कर्म-क्षेत्र अध्यापक, लेखक, उपन्यासकार
मुख्य रचनाएँ ग़बन, गोदान और बड़े घर की बेटी



रामधारी सिंह दिनकर

जन्म 23 सितंबर सन 1908 ई. **जन्म भूमि** सिमरिया, ज़िला मुंगेर
मृत्यु 24 अप्रैल सन 1974 **मृत्यु स्थान** चेन्नई, तमिलनाडु,
मुख्य रचनाएँ रश्मीरथी, उर्वशी (ज्ञानपीठ से सम्मानित), हुकार, कुरुक्षेत्र, संस्कृति के चार अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, हाहाकार, चक्रव्यूह, आत्मजयी, वाजश्रवा के बहाने



कोई काम शुरू करने से पहले,
स्वयं से तीन प्रश्न कीजिये -

- * मैं ये क्यों कर रहा हूँ?
- * इसके परिणाम क्या हो सकते हैं?
- * क्या मैं सफल होऊंगा?

जब गहराई से सोचने पर इन
प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर
मिल जायें, तभी आगे बढ़ें।

... चाणक्य

